

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

भकरी

बहक

श्री

पुत्र श्री

जाति

श्री लालाराम

श्री सुमानाराम

श्री मेघवाल

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 21 / 2019

निर्णय दिनांक 13/3/19

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम श्रील भकरी खसरा नम्बर 391
रकबा 1.94 हैक्टर किस्म मूदी (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री श्रीलालाराम
पुत्र श्री श्री सुमानाराम जाति मेघवाल निवासी श्रीलालाराम (जिसे
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाई लालाराम कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया
गया। तलबी पर अप्रार्थी का नोटिस स्वयं से नाशिल अप्रार्थी
द्वारा जवाब देते बार-बार समय चारा गया
जो दिया गया जवाब प्रस्तुत मरी दिखाया

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम श्रील भकरी
ख.न. 391 रकबा 1.94 किस्म मूदी पर संवत् 2075 में बिना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाई लालाराम कर अतिक्रमण किये
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

- (1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखत किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।
- (2) लगान दर रूपया 6 रु. प्रति रु. का 50 गुणा रूपया 582 रु.
(रूपये पाँच सौ बियाली रूपये) शारित
कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी निर्णय की
नागौर एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।
मु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/19 का सरे इजलास सुनाया।

रजिस्ट्रार का कार्यालय 2019 के पृष्ठ सं. 54
पत्र प्र. 582 का 50 की
सं. 20 की है।

राजस्थान सरकार

दादा

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)